न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 30/2010

1 मालाराम पुत्र बीरबलराम जाति जाट निवासी अरड़ावता तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 बुजाराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी अरड़ावता तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट 1955
अपील खिलाफ आदेश न्यायालय उपखण्ड
अधिकारी चिड़ावा बमुकदमा बुजाराम बनाम
मालाराम मुकदमा नम्बर 71/2007 प्रार्थना पत्र
अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05.04.2010

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 21.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 71/2007 में पारित निर्णय दिनांक 05.04.2010 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट ने ग्राम अरडावता की भूमि खसरा नम्बर 86 के सन्दर्भ में घोषणा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर धारा 212 का आवेदन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों की पालना में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर कोई विवेचन किये बिना पारित किया है। इसी भूमि के सन्दर्भ में सन्दर्भ में पूर्व में प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा आवेदन माननीय मण्डल तक खारिज हो चुका है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पक्षकारों के मध्य हक अधिकार का निर्धारण विचारण न्यायालय में होना शेष है। इससे पूर्व पक्षकारों में वाद बाहुल्यता नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि के विशिष्ट भू–भाग पर निर्माण कार्य नही करने की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद जारी करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। अत इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 21.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर